न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

// आदेश //

क्रमांक/ 05 /प्रवा./सुशासन/2025 डोंगरगढ़ दिनांक ..15../05/2025

प्रति,

सरपंच/सचिव
ग्राम पंचायत चिद्दो आश्रित ग्राम खरखाटोला
विकासखण्ड डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

विषय :- इस न्यायालय के राजस्व प्रकरण क्रमांक 202505092100002 अ/62 वर्ष 2024-2025 में पारित आदेश के परिपालन हेतु।

संदर्भ :- आवेदक श्री मनीष कुमार तिवारी निवासी ग्राम खरखाटोला तहसील डोंगरगढ़ के द्वारा सुशासन तिहार 2025 में प्रस्तुत आवदेन क्रमांक 25144061400030

---000---

विषयार्तगत लेख है कि आवेदक श्री मनीष कुमार तिवारी निवासी ग्राम खरखाटोला तहसील डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव (छ.ग.) द्वारा सुशासन तिहार 2025 में आवेदन पेश किया गया है कि ग्राम खरखाटोला जाने के मोड में एक रिया पेड़ स्थित है, जो कि सूख गया है। कभी-भी गिर सकता है। उक्त वृक्ष को कटवाने की अनुमति प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया है।

उक्त संबंध में हल्का पटवारी के प्रतिवेदनानुसार खसरा नंबर 81 सड़क रास्ता बोरतलाव से डोंगरगढ़ पक्की सड़क से खरखाटोला जाने के मोड़ (तिराहा) में एक रिया पेड़ स्थित है। उक्त वृक्ष के आधा भाग पूरी तरह से सूख गया। आधा भाग सूखने के कारण कभी भी गिरने की संभावना है, जिससे जनधन की हानि हो सकती है। जनसुविधा की दृष्टिकोण से ग्राम खरखाटोला स्थित खसरा नंबर 81 सडक रास्ता में स्थित आवेदित रिया पेड़ जिसका आधा भाग सूख गया है, उसे काटे जाने हेतु आदेश पारित किया गया है।

अतः आप ग्राम खरखाटोला स्थित खसरा नंबर 81 सड़क रास्ता खरखाटोला जाने के मोड़ में स्थित रिया पेड़ जिसका आधा भाग पूरी तरह से सूख गया है, को नियमानुसार कटवाना सुनिश्चित कर पालन प्रतिवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़ (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/ 04 /प्रवा./सुशासन/2025 डोंगरगढ़ दिनांक .15./05/2025

प्रतिलिपि :-

1. अुनविभागीय अधिकारी (वन) डोंगरगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. तहसीलदार डोंगरगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. श्री रामकुमार जांगडे, प.ह.नं. 27 खरखाटोला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. आवेदक श्री मनीष कुमार तिवारी निवासी ग्राम खरखाटोला तहसील डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव (छ.ग.) को सूचनार्थ। मो.नं. 9303823299

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़ (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

राजस्व मामला क्रमांक 202505092100002 अ/62 वर्ष 2024-2025

(1)	(2)	(3)
15 05 2025	- प्रकरण पेश। - आवेदक श्री मनीष कुमार तिवारी निवासी ग्राम खरखाटोला तहसील डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव (छ.ग.) द्वारा सुशासन तिहार 2025 में आवेदन पेश किया गया है कि ग्राम खरखाटोला जाने के मोड में एक रिया पेड़ स्थित है, जो कि सूख गया है। कभी-भी गिर सकता है। उक्त वृक्ष को कटवाने की अनुमति प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया है। - उक्त संबंध में हल्का पटवारी से प्रतिवेदन मय पंचनामा लिया गया। हल्का पटवारी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम खरखाटोला के खसरा नंबर 81 सड़क रास्ता बोरतलाव से डोंगरगढ़ पक्की सड़क से खरखाटोला जाने के मोड़ (तिराहा) में एक रिया पेड़ स्थित है। उक्त वृक्ष के आधा भाग पूरी तरह से सूख गया है तथा आधा भाग गिला है। आने-जाने वाले यात्री छाया में बैठते हैं। पेड़ के आधा भाग सूखने के कारण कभी भी गिरने की संभावना है, जिससे जनधन की हानि होने की संभावना को देखते हुये उक्त वृक्ष को कटवाने हेतु अनुमति चाहा गया है। चूंकि उक्त वृक्ष पी.डब्ल्यू.डी. के पक्की सड़क के पाई में स्थित है। - प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का सूक्ष्मता से परिशीलन किया गया। हल्का पटवारी के प्रतिवेदनानुसार खसरा नंबर 81 सड़क रास्ता बोरतलाव से डोंगरगढ़ पक्की सड़क से खरखाटोला जाने के मोड़ (तिराहा) में एक रिया पेड़ स्थित है। उक्त वृक्ष के आधा भाग पूरी तरह से सूख गया। आधा भाग सूखने के कारण कभी भी गिरने की संभावना है, जिससे जनधन की हानि हो सकती है। अतः हल्का पटवारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुये जनसुविधा की दृष्टिकोण से ग्राम खरखाटोला स्थित खसरा नंबर 81 सडक रास्ता में स्थित आवेदित रिया पेड़ जिसका आधा भाग सूख गया है, उसे काटे जाने की अनुमति दी जाती है। - आदेश खुले न्यायालय में पारित एवं घोषित। - आदेश की सूचना सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत चिद्दो आश्रित ग्राम खरखाटोला को नियमानुसार कार्यवाही हेतु भेजी जावे, जिसका पृष्ठांकन अनुविभागीय अधिकारी (वन) डोंगरगढ़, तहसीलदार तहसीलदार डोंगरगढ़ एवं हल्का पटवारी खरखाटोला व आवेदक को जारी किया जावे। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़ (छ.ग.) जिला राजनांदगांव (छ.ग.)	